न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध आपूर्ति अपील वाद सं0–58/13–14 अनिल कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 6.11.12 के आलोक में अनिल कुमार ज0वि0प्र0वि0, कुल्हड़िया पचायत, प्रखड–परवत्ता, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि माह नवम्बर, 08, दिसम्बर, 08 एवं अप्रील, 09 तथा मई, 09 में उपावंटित बी0पी0एल0 खाद्यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण उनकी अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 10 मु0 दिनांक 01.12.2009 द्वारा रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि माह नवम्बर, 08 एवं दिसम्बर, 08 महीने के लिए बैंक ड्राफ्ट नही बना सकता था, क्योंकि पैसे पहले ही दो महीने के लिए जमा कर चुका था, लेकिन उस महीने के लिए जमा राशि के लिए अनाज एस0एफ0सी0 गोदाम द्वारा जारी नहीं किया गया था। इसलिए नवम्बर, 2008 और दिसम्बर, 2008 के लिए अधिक राशि जमा करने में असमर्थ थे। उनका यह भी कहना है कि अप्रील, 2009 एवं मई, 2009 के महीने के लिए अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उनकी पूंजी पहले ही पिछले महीने के खाद्यानों और गोदाम के लिए निहित थी। उपभोक्ताओं को वितरण के लिए अनाज आवंटित नहीं किया गया था, ऐसे में अपीलार्थी आगे बैक ड्राफ्ट जमा नहीं कर सकता था। उनका यह भी कहना है कि उपभोक्ता द्वारा गलत रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को आवेदन दिया कि बिक्रेता खाद्यान्न को कालाबजारी कर दिया है। अनुनंडल पदाधिकारी, गागरी के ज्ञापाक 764 दिनांक 27.07.09 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और उनकी अनुज्ञप्ति को निलंवित कर दिया गया और बिना कारण के दिनांक 01.12.2009 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को रदद कर दिया गया, जो कानून के तहत गलत है तथा यह आदेश प्रकृति न्याय के सिद्धांतो के अनुसार नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर, सुनवाई कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 01.12.09 द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध	

कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिक्रेता श्री अनिल कुमार द्वारा माह नवम्बर, 08 एवं दिसम्बर, 08 तथा अप्रील, 09 एवं मई, 09 में उपावंटित बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना का खाद्‌यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 764 दिनांक 27.07.09 द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति संख्या 75पी/07 को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया। इसके पूर्व भी बिकेता से बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। जिसे चेतावनी के साथ मुक्त किया गया। बिक्रेता द्वारा चेतावनी को अनदेखी करते हुए उपरोक्त माह का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना का खाद्‌यान व्ययगत किया गया जिसके कारण लाभूकों को खाद्‌यान से बंचित रहना पड़ा। जबकि उपरोक्त माह का किरासन तेल का उठाव किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिक्रेता द्वारा जान-बूझकर खाद्‌यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 10मु0 दिनाक 01.12.2009 से बिक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्‌द कर दिया गया।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 06.10.2017 को सूचना प्रकाशित कराया गया। फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए।

अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है तथा अन्य कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि बिक्रेता श्री अनिल कुमार द्वारा माह नवम्बर, 08 एवं दिसम्बर, 08 तथा अप्रील, 09 एवं मई, 09 में उपावंटित बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना का खाद्‌यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्‌द किया गया है जो सम्यक तथा सही है।

अपीलार्थी द्वारा अपने कथन में समर्थन में कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पिछले माह के बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर खाद्‌यान की आपर्ति नहीं होने के कारण बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं कर सके।

अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से भी यह प्रमाणित होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। और इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा अपने कथन के समर्थन में कोई अन्य कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 10मु0/दिनांक 01.12.09 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्‌द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया

समाहर्ता, खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 437 /विधि, दिनांक 13/11/2017 प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 16/11/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	